

**प्रतिमा विसर्जन तथा ध्वनि प्रदूषण के सम्बन्ध में सूचना**

दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर नदियों, तालाबों, इत्यादि को प्रदूषण मुक्त रखने हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, दिल्ली द्वारा निरूपित “मूर्ति विसर्जन हेतु दिशा निर्देश” जनहित में समस्त झारखण्ड वासियों के सूचनार्थ प्रकाशित किये जा रहे हैं :-

- (i) मूर्तियाँ धार्मिक ग्रंथों में वर्णित प्राकृतिक वस्तुओं से बनाए जाएँ । परंपरा से चले आ रहे मिट्टी के उपयोग को ही पक्के मिट्टी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इत्यादि के बदले प्रोत्साहित/स्वीकृत एवं प्रोन्नत किया जाए ।
- (ii) मूर्तियों के रंगरोगन हतोत्साहित किए जाएँ । यदि रंगरोगन अपेक्षित हो तो जल में घुलने वाले हानि नहीं पहुँचाने वाले प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाए । हानिकारक एवं आसानी से अपघटित नहीं होने वाले रासायनिक रंगों का उपयोग सख्त मना है ।
- (iii) पूजन सामग्री, यथा-फूल, वस्त्र, प्लास्टिक, कागज, इत्यादि विसर्जित नहीं किए जाएँ । अपघटित होने वाले पदार्थों को अलग से संग्रहित कर पुनः उपयोग में लाया जाए अथवा कम्पोस्ट किया जाए । अपघटित नहीं होने वाली वस्तुओं को अलग से संग्रहित कर सैनिटरी लैण्ड फिल्स में डाला जाए । कपड़ों को स्थानीय अनाथालयों को भेजा जाए ।
- (iv) पवित्र जल स्रोतों में मूर्तियों के विसर्जन से होने वाले कुप्रभाव से लोगों को जन-जागरण कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षित किया जाए ।
- (v) मूर्ति विसर्जन के स्थानों को चिन्हित कर घेर दिया जाए । विसर्जन के पूर्व विसर्जन स्थल की तलहटी पर सिन्थेटिक लाईनर बिछाया जाए । मूर्ति के जल में घुलने के बाद लाईनर को मूर्ति के अवशेषों के साथ जल से बाहर निकाल लिया जाए । अवशेष बाँस एवं लकड़ी को पुनः उपयोग में लाया जाए । मिट्टी, आदि को सैनिटरी लैण्ड फिल्स में डाला जाए ।

उक्त दिशा निर्देश विस्तृत रूप से केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण पर्षद की वेबसाईट [cpcb.nic.in](http://cpcb.nic.in) पर भी उपलब्ध हैं ।

साथ ही अनुरोध है कि ध्वनि प्रदूषण (नियमन एवं नियंत्रण) नियमावली, 2000 का अनुपालन करते हुए बगैर सक्षम प्राधिकार की अनुमति के लाउडस्पीकर नहीं बजाया जाय । रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे तक सार्वजनिक स्थल पर लाउडस्पीकर का प्रयोग दंडनीय है ।

ध्वनि प्रदूषण (नियमन एवं नियंत्रण) नियमावली, 2000 में निर्धारित परिवेशीय ध्वनि स्तर जो निम्न प्रकार के हैं, उसका संरक्षण करना है :-

एरिया कोड एरिया/जोन का श्रेणी ध्वनि अधिसीमा (डेसीबल में)

	दिन	रात	
ए- औद्योगिक प्रक्षेत्र	75	70	1. दिन से अभिप्राय है सुबह 6:00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक
बी- व्यवसायिक प्रक्षेत्र	65	55	2. रात्रि से अभिप्राय है रात्रि 10:00 बजे से सुबह 6.00 बजे तक
सी- आवासीय प्रक्षेत्र	55	45	3. शान्त प्रक्षेत्र से तात्पर्य है अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान,
डी- शान्त प्रक्षेत्र	50	40	न्यायालय, धार्मिक स्थल आदि से कम से कम 100 मीटर अथवा सक्षम प्राधिकार द्वारा घोषित ।

एतद द्वारा राज्य के समस्त प्रबुद्ध नागरिकों को सूचित किया जाता है कि वे प्रतिमा विसर्जन के दौरान उपयुक्त दिशा निर्देशों का अनुपालन करें ।

जल स्रोतों को प्रदूषण मुक्त रखने तथा ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रण में रखने हेतु झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद को अपना बहुमूल्य सहयोग दें ।

  
सदस्य सचिव

अध्यक्ष